फैक्स / तत्काल

संख्या:– 370 / 1–11–2016–7(जी) / 2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, बाराबंकी, गोण्डा, बलिया, गाजीपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनॉक :: 27 अगस्त, 2016

विषयः– बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7 / 2014–एन0डी0एम0–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–3 (क) में राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों / शरणार्थियों / प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु अधिकतम 30 दिन के लिये प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तर–6 (2) में पशु कैम्पों में चारा / पशु सन्तुलित आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं को अधिकतम 30 दिन के लिये दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत शिविर में रह रहे व्यक्तियों को भोजन हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री तथा पशु कैम्पों में पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था निम्नानुसार सुनिश्चित किया जायः–

1– **प्रत्येक परिवार को 20 किग्रा0 आटा, 20 किग्रा चावल, 4 किग्रा दाल, 15 किग्रा आलू, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 1 साबुन, 10 मोमबत्ती, 5 पीस माचिस राहत सामग्री के रूप में वितरित करायी जाय।**

2– **प्रभावित पशु जो कैम्पों में रखे गये हैं, के लिये चारे के रूप में 5 किग्रा भूसा प्रति दिन प्रति पशु दिया जाय।**

3– उपरोक्त निर्णयानुसार भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री तथा पशुओं को चारे के रूप में भूसे का वितरण कराया जाय।

4– प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाय जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सामग्री सुरक्षित रहे।

5– राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता तथा वित्तीय नियमों व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– वितरित की गयी राहत सामग्री तथा लाभार्थी परिवार का पूर्ण विवरण जिला स्तर पर रखा जायेगा।

7– अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा खाद्यान्न एवं चारे के वितरण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या- 370(1)/1-11-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner